छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–51 / रेरा / 2020 / 1386 रायपुर, दिनाँक 28 / 12 / 2020

/ / परिपत्र / /

विषय :– वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019–2020 प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–25 / रेरा / 2019 / 1987, रायपुर, दिनाँक 22 / 08 / 2019 एवं परिपत्र क्रमांक–48 / रेरा / 2020 / 1010, रायपुर, दिनाँक 21 / 09 / 2020 ।

––00––

प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र क्रमांक–25 के माध्यम से छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हेतु वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के कारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का नियमित विकास कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होने की वजह से प्राधिकरण ने परिपत्र क्रमांक–48 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–2020 हेतु वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करते हुये दिनाँक 31.12.2020 तक की अवधि निर्धारित की थी। परन्तु आई.सी.ए.आई. की रायपुर/बिलासपुर शाखा व क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने निवेदन किया है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2019–2020 हेतु फर्मस के अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दिनाँक 31.12.2020 तक की अवधि निर्धारित की है, जिसके पश्चात् ही प्रोजेक्ट्स की वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाना संभव है। अतः समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्राधिकरण द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वर्ष 2019–2020 हेतु वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. वर्ष 2019–2020 हेतु बिना विलंब शुल्क के वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.12.2020 में दो माह की वृद्धि करते हुये अंतिम तिथि 28.02.2021 निर्धारित की जाती है।
2. उपरोक्त उल्लेखित समयावधि पश्चात् ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर संदर्भित परिपत्र क्रमांक–48 अनुसार विलंब शुल्क देय होगा।

नोट :– (A) वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट केवल प्राधिकरण की वेबसाईट **https://rera.cgstate.gov.in** पर अपलोड की जानी है। यदि किसी प्रमोटर द्वारा रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो वह स्वीकार्य नहीं होगी।

(B) ऐसे समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिन्हें वित्तीय वर्ष 2018–2019 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदाय कर दिया गया है, के द्वारा वर्ष 2019–2020 हेतु लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.